**न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार**
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक- 843 /आ० नि० को०

दिनांक- 02 जून'2020

# आदेश

## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-1114/2020

दिव्यांगजनों, गंभीर दिव्यांगताग्रस्त दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के अभिभावक, दिव्यांगजनों के देखभालकर्त्ता (प्रोफेशनल्स, पुनर्वास कार्यकर्ता) तथा दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता पैकेज हेतु की गई शिकायतें एवं न्यायालय द्वारा दिनांक-25.04.2020, 13.05.2020, 21.05.2020 एवं 29.05.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालतों के दौरान सुनवाई हेतु उपस्थापित शिकायतें

**बनाम**

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना।

**प्रकरण में :- कोविड19 के संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन स्थितिनुसार विविध स्तरों पर अपनी विविध सीमाओं एवं स्वास्थ्य स्थितियों की वजह से अपेक्षाकृत अत्याधिक दिक्कतों का सामना करने वाले दिव्यांगजनों, गंभीर दिव्यांगताग्रस्त दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के अभिभावक, दिव्यांगजनों के देखभालकर्त्ता (प्रोफेशनल्स, पुनर्वास कार्यकर्ता) तथा दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार द्वारा अलग से आर्थिक सहायता पैकेज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विविध माध्यमों से दिव्यांगजनों, गंभीर दिव्यांगताग्रस्त दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के अभिभावक, दिव्यांगजनों के देखभालकर्त्ता (प्रोफेशनल्स, पुनर्वास कार्यकर्ता) तथा दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के उनके द्वारा सामना की जा रही दिक्कतों व इस हेतु सहायता पैकेज की माँग के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों एवं न्यायालय द्वारा दिनांक-25.04.2020, 13.05.2020, 21.05.2020 एवं 29.05.2020 को आयोजित ऑनलाईन लोक अदालतों के दौरान सुनवाई हेतु उपस्थापित शिकायतों का संदर्भ देते हुए अंकित करना है कि कोविड19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उपस्थित परिस्थितियों ने समस्त देशवासियों व राज्य निवासियों को प्रभावित किया है, परन्तु इसने दिव्यांगजनों को विविध कारणों यथा शारीरिक, संवेदी व ज्ञान संबंधी सीमाओं व स्वास्थ्य स्थितियों की वजह से अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से प्रभावित किया है। तदनुसार राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है।

उक्त संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-24(1) एवं इससे संबद्ध धारा-24(3)(ग) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रावधानों का संदर्भ देते हुए अंकित करना है कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सहायता हेतु स्कीम में एवं कार्यक्रम बनाए एवं ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों की सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनिम,2016 के अनुपालन के संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं उपलब्ध सुरक्षापायों से संबंधित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहन के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि कोविड19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उपस्थित परिस्थितियों की वजह से अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गंभीर रूप से एवं विविध स्तरों पर प्रभावित दिव्यांगजनों यथा श्री सुगंध नारायण प्रसाद, पटना (बिहार), गंभीर दिव्यांगताग्रस्त दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के अभिभावक, दिव्यांगजनों के देखभालकर्त्ता (प्रोफेशनल्स, पुनर्वास कार्यकर्ता) तथा दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत संघ/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं यथा बिहार एसोसिएशन ऑफ द डेफ इत्यादि के द्वारा की गई शिकायतों के आलोक में सरकार द्वारा अलग से आर्थिक सहायता पैकेज उपलब्ध कराने पर यथाशीघ्र विचार किया जाय। राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्बल योजना तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-88 के अन्तर्गत प्रावधानित "दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि" द्वारा अथवा राज्य सरकार के निर्णयानुसार अलग से राशि की व्यवस्था कर ये आर्थिक सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत आवश्यक कार्रवाई का प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करने की कृपा करें।

क्र०पृ०उ०............



Scanned with CamScanner

अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थितिनुसार उक्त वादियों द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित वाद में न्यायालय प्रक्रिया के तहत वाद के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

02.06.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

अनु0-यथोक्त।
इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक-765/आ0नि0को0 दि0-25.04.2020, पत्रांक-790/आ0नि0को0 दि0-13.05.2020, पत्रांक-814/आ0नि0को0 दि0-22.05.2020 एवं पत्रांक-834/आ0नि0को0 दि0-29.05.2020 के तहत संलग्न अनुलग्नक का भी संदर्भ ग्रहण करें।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद सं0-1114/2020-843/आ०नि०को० दिनांक-02 जून 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

02.06.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद सं0-1114/2020-843/आ०नि०को० दिनांक-02 जून 2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 के विषय में जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

02.06.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।



Scanned with CamScanner